फैक्स

रजिस्टर पत्र

संख्या 3068 आर/छः-पु0-5-1999

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 18 मई, 1999

विषयः आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले लाइसेन्सों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत दस्तावेज मानते हुये ऐसे लाइसेन्सों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 3992 आरःछः-पु0-5-520/98, दिनांक 11 सितम्बर, 1998 के अनुक्रम में तथा शासन के कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या क0सं0वि05-2110/11-99-500(64)/98, दिनांक 10 मई, 1999 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1 बी के अनुच्छेद 38 'क' के केवल खण्ड 'ग' मे उल्लिखित निम्नांकित आयुधों के नवीनीकरण के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान कर दी गई है:-

1- रिवाल्वर या पिस्टल
2- राइफल
3- डी0बी0एल0 (आयुध)
4- एस0बी0बी0एल0(आयुध)
5- एम0एम0 (आयुध)

2- कृपया तदनुसार इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने एवं तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव, गृह

संख्याः 3068 (1) आर /छः-पु0-5-1999तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव, गृह